रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2012, शनिवार/पौष 18—पौष 24, 1933
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2012, SATURDAY/PAUSA 18—PAUSA 24, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य का कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-III के भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के भाषा प्रभाग के साथ-साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य का कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य का कार्यालय आशुलिपिक ग्रेड-II भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-II	21* (2012) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	पे बैण्ड-1, (रु. 5200—20200) और ग्रेड पे रु. 2400	लागू नहीं	18—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) । **टिप्पणी** : आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित अनुसार होगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष । (ii) दक्षता परीक्षण मानदण्ड केवल कम्प्यूटर पर । **डिक्टेशन** : 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से **लिप्यन्तरण** : 50 मिनट (अंग्रेजी) अथवा 65 मिनट (हिंदी) ।	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती । **टिप्पणी :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा उसकी लंबी बीमारी अथवा उसके अध्ययन छुट्टी पर होने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले और कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं ।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
पुष्टिकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (भाषा प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के लिए) :— (1) सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) —अध्यक्ष (2) अनुसंधान अधिकारी (भाषा) अथवा भाषाविद् अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय के कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य **पुष्टिकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय के लिए) :—** (1) संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य अथवा उप निदेशक, जनगणना कार्य —अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय के कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं. ए-16011/12/2000-प्रशा. 2/प्रशा. 5]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 6th January, 2012

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Stenographer Grade-III, Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Language Division of the Office of the Registrar General, India, as well as all the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories Stenographer Grade-II Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	21* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 (Rs. 5200—20200) and Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	18—27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms only on computers. **Dictation :** 10 minutes @ 80 word per minutes. **Transcription :** 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi).	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment through the Staff Selection Commission. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the Language Division of the Office of the Registrar General, India) :— 1. Assistant Registrar General (Language) or Senior Research Officer (Language) —Chairman 2. Research Officer (Language) or Linguist or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member 3. A Group 'A' Officer of another Central Government office —Member **Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the respective Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories) :—** 1. Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations —Chairman 2. Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Director of Census Operations —Member 3. A Group 'A' Officer of another Central Government office —Member	Not applicable.

[F. No. A-16011/12/2000-Ad. II/Ad. V]
SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 10.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी (विद्युत) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उसका संबंध हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल (जेनेरेटर ऑपरेटर) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी/विद्युत के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।